

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ ( राज.)

होगलाल बनाम सुरेशचन्द्र

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 1/00/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
05/08/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>होगलाल - डालचन्द - गानीबई -</u>  <del>श्री</del> श्री <u>होगलाल - मोहनीबई - रामी - हीराबई</u> (पिता <u>मंगीलालजी</u>  <u>धारा 5 शवतका तालाब</u> <u>बस्ती</u>  निवासी- ..... तहसील <u>बस्ती</u> जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम .....  <u>शवतका तालाब (पट्टा दोलतपुर)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>137, 138</u>  <u>0-28 0-07</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> कुल रकबा <u>0-3500</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>शवतका तालाब (पट्टा दोलतपुर) तहसील बस्ती</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>137, 138</u>  <u>0-28 0-07</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> रकबा <u>0-3500</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शों अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500 = 00</u> रुपये अक्षरे <u>पंच से रत्नार</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(बीनू देवल)  सहायक कलक्टर एवं  उपखण्ड अधिकारी  चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>